AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण में उनकी भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन – पलामू जिला झारखण्ड के संदर्भ में

ORIGINAL ARTICLE

Authors
श्रीमती इन्दु कुमारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. ईश्वर सागर चन्द्रवंशी
शोध मार्गदर्शक एवं कुलपति

डॉ. स्वाति कुमार
सहायक शोध मार्गदर्शक
रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय
विश्रामपुर, पलामू, झारखण्ड, भारत

शोध सार

किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ हर परिवार विकसित, सभ्य एवं सुसंस्कृत होना चाहिए और परिवार की उन्नति तभी संभव है, जब उस परिवार की महिला जागृत, सुसंस्कृत एवं गुणवती हो क्योंकि स्त्री वह धुरी है जिस पर परिवार टिका होता है। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में योजनाऐं एवं अभियान चलाए जा रहे है। आज समाज की महत्वपूर्ण इकाई, महिलाओं के उत्थान हेतु सतत् प्रयास किया जा रहे है। इन्ही प्रयासों में से एक सशक्त कदम है 'महिला सशक्तिकरण'। महिला सशक्तीकरण का सबसे व्यापक तत्व है उन्हे सामाजिक पद, प्रतिष्ठा और न्याय प्रदान करना। महिला सशक्तीकरण के प्रमुख लक्षण हैं सही शिक्षा, सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिति, बेहतर स्वास्थ, आर्थिक अथवा वित्तीय सहायता और राजनीतिक सहभागिता। भारत में पंचायतीराज व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक शोध कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान शोध अध्ययन का उद्देश्य है कि आरक्षण व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव महिलाओं या ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों पर पड़ा है कि नहीं, यह जानना है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक प्रकार की शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है जिसमें शोधार्थी ने पलामू जिला की 335 महिला प्रतिनिधियों का रैन्डम प्रतिदर्श द्वारा चयन कर के उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है जबकि द्वितीयक आंकड़ो का एकत्रीकरण के लिये पलामू की जिला परिषद, पंचायत परिषद एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों आदि से अद्यतन आंकड़े एकत्रित किये गए तथा उनका सार्थक साँख्यकीय पद्धतियों द्वारा विश्लेषण किया गया है। वर्तमान शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह ज्ञात हुआ कि निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थिती, स्वास्थय की स्थिति आदि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मुख्य शब्द

पंचायतीराज, महिला सशक्तिकरण, सुसंस्कृत, परिवार.

प्रस्तावना

किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ हर परिवार विकसित, सभ्य एवं सुसंस्कृत होना चाहिए और परिवार

की उन्नति तभी संभव है, जब उस परिवार की महिला जागृत, सुसंस्कृत एवं गुणवती हो, क्योंकि स्त्री वह धुरी है जिस पर परिवार टिका होता है। शास्त्रों में हमे ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते है कि उस समय स्त्री और पुरुष के समान अधिकार और आदर्श थे जैसे स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म अनिवार्य था, वैसे ही पुरूष के लिए पत्नीव्रत। उपलब्ध प्रमाण बताते है कि ऋषि– मुनि भी अपनी पत्नियों को पर्याप्त स्वतंत्रता देते थे। लड़कियों को अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार था, लेकिन मनु के समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आयी। पुरुषों के समान अधिकार उनसे छिने गये उनका कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया गया और सिर्फ कर्तव्य उनके लिए पर मढ़ दिये गए। उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाने लगा। पुरुषों से अलग स्त्रियों की अपनी कोई पहचान न रही, पुरुषों को उन्हें प्रताड़ित करने, पीटने का मानो विधिसम्मत अधिकार मिल गया। अतीत में भारत में पंचायत थी, इसके प्रमाण मिलते है लेकिन इनमें महिलाओं की भागीदारी भी थी– इसके प्रमाण नहीं मिलते है। तत्कालीन पंचायतों के सदस्यों के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गयी थी, महिलाए उनकी परिधि में नहीं आती थी।

सम्पूर्ण राष्ट्र की आधी आबादी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। राष्ट्र के विकास की गति महिलाओं के विकास से सूचित होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में योजनाएँ एवं अभियान चलाए जा रहे है। आज समाज की महत्वपूर्ण इकाई,महिला समाज के उत्थान हेतु सतत् प्रयास किया जा रहे है। इन्हीं प्रयासों में से एक सशक्त कदम है ''महिला सशक्तिकरण''। सामान्यतः सशक्तिकरण मात्र एक अंग को स्वस्थ कर देने से ही नहीं आता है, जब तक की सम्पूर्ण अवयवों का पूर्ण समावेश एवं पोषण नहीं हो।

सशक्तिकरण का अर्थ अपनी जीवन शैली स्वयं तय करनें की क्षमता, अपनी शिक्षा, रोजगार एवं विवाह से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। इसका अर्थ सोचने एवं काम करने की स्वतंत्रता से भी है। इन सबसे ऊपर इसका अर्थ एक गरिमापूर्ण एवं आत्मसम्मान का जीवन जीने से है। भारत में, महिलाओं की स्थिति में वांछित सुधार लाने के लिए हमें सही सामाजिक नजरिया बनाने की जरूरत है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं कि भूमिकाओं एवं समाज में अपने वर्ग की स्थिति के प्रति महिलाओं की सोच (विशेष रूप से उन महिलाओं की जो शिक्षित हैं) में बदलाव आया है, किन्तु सामाजिक नजरिए में बदलाव नहीं आया है इसलिए भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बेहतरी के लिए सुधार अथवा बदलाव को बढ़ावा देने एवं महिलाओं के संबंध में पारंपरिक अपेक्षाओं के बीच एक टकराव है। इसके बावजूद यह एक परिवर्तन का दौर है तथा भावी पीढ़ियों के लिए उम्मीद दिखाई देती है।

सही मायने में देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है महिला को आत्म–सम्मान देना और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें। पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेणुका चौधरी की दृष्टि में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि। उनका कहना है कि यदि कोई महिला अपने और अपने अधिकारों के बारे में सजग है, यदि उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त है, समर्थ है।

प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की सामाजिक स्थिति उनके आदर्शों और कार्यों के अनुसार निश्चित होती है। इन आदर्शों और कार्यों का निर्धारण उस समाज की संस्कृति करती है। संस्कृति यह निश्चित करती है कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों और पुरुषों का महत्व कितना है और उनके क्या–क्या कार्य हैं। ये महत्व और कार्य ही यह निश्चित करते हैं कि समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के ऊपर, बराबर या नीचे होगा।

किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिये हमें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन के बारे में जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते हैं जैसेः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तर, प्रजननता, जन्मदर, शहरीकरण, सामाजिक मानसिकता, परंपरा राजनैतिक एवं वैधानिक अधिकार इत्यादि।

महिला सशक्तीकरण का सबसे व्यापक तत्व है उन्हें सामाजिक पद, प्रतिष्ठा और न्याय प्रदान करना। महिला सशक्तीकरण के प्रमुख लक्षण हैं– शिक्षा, सामाजिक असमानता और स्थिति बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक अथवा वित्तीय सुदृढ़ता और राजनीतिक सहभागिता।

महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित भारत और विदेशों में अद्यतन शोध कार्य चल रहे हैं अथवा हो चुके हैं। भारत में पंचायतीराज व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक शोध कार्य किये जा रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः शोध कार्य ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, रोजगार गांवों की आधारभूत संरचना पर प्रभाव से सम्बन्धित हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य है कि आरक्षण व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव महिलाओं या ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्य पर पड़ा कि नहीं, क्योंकि अधिकांशतः महिलाएँ (ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य) अशिक्षित हैं। वह मात्र स्टाम्पपैड बनकर रह गयी हैं। अधिकांशतः महिला प्रधान के पति ही ग्राम प्रधान का कार्य संचालित करते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी कम होना, निर्णय लेने में पुरुषों या परिवार के सदस्यों की भूमिका का अधिक होना इत्यादि। यह असमानता महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से परे है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुये इस विषय पर अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुयी।

शोध साहित्य समीक्षा

शोधार्थी ने शोध अध्ययन से संबंधित अग्रवर्णित शोध कार्यों की समीक्षा की तथा शोध अध्ययन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया आर्य रीना (2005) ने अपने शोध अध्ययन जिसक शीर्षक ''ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्री अध्ययन'' था। उनका यह अध्ययन औरेया जनपद के एरवा कटरा विकास खण्ड के अध्ययन पर आधारित था। शोध अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने महिला सशक्तिकरण के विषय में यह पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना उतना आवश्यक नहीं समझा जाता जितना कि लड़कों की, पारिवारिक मामलों में पुरूषों का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17.5 प्रतिशत महिलाऐं पारिवारिक हिंसा का शिकार है, महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। राजनीतिक क्षेत्रों में भी ग्रामीण महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को अपने मतदान के अधिकार की जानकारी है, किन्तु वे स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग नहीं कर सकती है। ग्रामीण महिलाओं को यह मालूम है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है लेकिन कितने प्रतिशत इसकी सही जानकारी नहीं है। ग्रामीण महिलायें चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, चुनाव जीत जाने के बाद विकास सम्बन्धी तथा नीतिगत निर्णय उनके परिवार के पुरूष सदस्य ही लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं के जागरूकता के स्तर में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। शिक्षित महिलाऐं भी निर्णय लेने में उतनी ही परतन्त्र है जितनी की अशिक्षित महिलाऐं। अतः ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण कोसो दूर है। कोडान आनन्द, सिंह विमल एवं सिंह नरेन्द्र (2012) ने पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण में महिला नेतृत्व की आवश्यकता पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि महिलाऐं विकास का मूल बिन्दु है, सतत् परिवर्तन के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। महिलाऐं आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है लेकिन आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें समाज में पुरूषों की तुलना में कमजोर ही समझा जाता है, उदाहरण के तौर पर स्त्री – पुरूष में साक्षरता दर। यद्यपि आज महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन पुरूषों की तुलना में कम ही है। इसी प्रकार लैंगिक अनुपात 1901 में 972 था और अब वह घटकर 2001 में 829 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या, पुरूष प्रधान समाज, बालिकाओं के प्रति उपेक्षा आदि ऐसे अनेक कारण है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि अब समय महिला नेतृत्व का है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी महिला जनप्रतिनिधियों के विकास में एक क्रान्तिकारी कदम है। कई राज्यों में महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है। राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण थी उसमें अब परिवर्तन आ रहा है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज ने महिलाओं के नेतृत्व को एक मजबूत तथा सशक्त आधार प्रदान किया है।

केलकर, कुमुदिनी (2013) ने अपने लेख 'पंचायतीराज और महिला नेतृत्व' में लिखा है कि ''सरकार ने पंचायतों में आरक्षण के आधार पर महिलाओं की भागदारी कागजों पर सुनिश्चित कर दी तथा महिला सरपंचों, पंचों एवं अन्य प्रतिनिधियों को पुरुष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिये खड़ा कर दिया मगर इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के लिये महत्वपूर्ण आधार प्रदान नहीं किया गया। वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान, सहयोग और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की महती आवश्यकता है।'' निर्मला बुच

(2020) का मत है कि महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को साकार करने के लिए योजनाएं बनाकर उन पर अमल किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपनी क्षमता का विकास कर सकें। उन्हें निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वे महिलाएं जो प्रत्येक चुनाव में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में प्रवेश कर रही हैं, वे एक सशक्त संसाधन हैं। संसाधनों और अधिकारों के अपर्याप्त विकेंद्रीकरण और पुरुष प्रधान समाज के मुक्त खेल से महिलाओं के कार्य में कोई बाधा नहीं खड़ी करनी चाहिए। प्रकाश जैन (2021) ने अपने अध्ययन में पंचायत व्यवस्था के तीनों स्तरों पर महिलाओं के आरक्षण, उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण, महिलाओं को दायित्व बोध कराने आदि का विश्लेषण किया हैं। इनके अनुसार गांधीजी का स्वराज का स्वप्न साकार करने में पंचायतराज की सशक्त भूमिका है। शोधार्थी ने शोध साहित्य समीक्षा दरम्यान यह पाया कि देश के विभिन्न राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। महिला पंचायत प्रतिनिधी, महिलाओं तथा समाज के विकास में अपनी सार्थक भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। शोधार्थी ने यह भी पाया कि दूसरे राज्यों की तुलना में झारखण्ड राज्य में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महिला सशक्तिकरण में उतनी सार्थक नहीं हैं? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिये शोधार्थी ने झारखण्ड राज्य के पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जिसमें शोधार्थी ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा निभाई गयी भूमिका/योगदानों का एक अनुभवात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। अग्रवर्णित महिला सशक्तिकरण के पहलुओं के अलावा महिला पंचायत प्रतिनिधियों को महिलाओं के सशक्तिकरण की क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन किया गया है। इसके साथ साथ शोधार्थी ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता को असरकारक/प्रभावशाली बनाने हेतु उनके सुझावों विचारों को भी ज्ञात करने का प्रयास किया गया।

शोध अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत वर्तमान शोध अध्ययन में वर्णात्मक प्रकार की शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है जिसमें शोधार्थी ने पलामू जिला की 335 महिला प्रतिनिधियों का रैन्डम प्रतिदर्श द्वारा चयन कर के उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया है। वर्तमान शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने पलामू जिला में कार्यरत जिला परिषद की महिला सदस्यों, कुल 18 पंचायत प्रखण्डों/समितियों में से चयनित 5 पंचायत समितियों की महिला सदस्यों, चयनित 5 पंचायत समितियों के 41 ग्राम पंचायतों के महिला मुखियाओं एवं चयनित पंचायत समितियों के कुल 86 ग्राम पंचायतों की 655 महिला प्रतिनिधियों में से 34 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों में से जिनकी कुल संख्या 225 थी, को प्रतिदर्श के रूप में चुना। इसके साथ साथ 17 महिलाऐं जिला परिषद से, 52 महिलाऐं पंचायत समिति से तथा 41 महिलाऐं ग्रामपंचायत मुखियाओं में से चयनित की गई। इस तरह शोधार्थी के प्रतिदर्श की कुल संख्या 335 थी जिसका उल्लेख अधोवर्णित सारिणी में किया गया है:

सारिणी संख्या 1: पलामू जिला के विभिन्न स्तरों – जिला परिषद, चयनित पंचायत समितियों, चयनित ग्राम पंचायत समितियों की महिला सदस्यों, मुखियाओं एवं महिला प्रतिनिधियों की संख्या को दर्शाती सारिणी:–

पलामू जिला पंचायत के विभिन्न स्तर	जिला परिषद, चयनित पंचायत समितियों, चयनित ग्राम पंचायत समितियों की महिला सदस्यों, मुखियाओं एवं महिला प्रतिनिधियों की संख्या
1. जिला परिषद सदस्य	17
2. पंचायत समिति	52
3. मुखिया	41
4. ग्राम पचांयत समिति	225
कुल प्रतिदर्श की संख्या	335

आँकड़ों के एकत्रीकरण की प्रक्रिया

शोधार्थी ने प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जिसका प्रतिदर्श की

बाहर की महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर पूर्व परीक्षण किया गया। इस तरह उसकी वैधता एवं विश्वसनीयता की जाँच की गई। इस साक्षात्कार अनुसूची के भाग ब में शोधार्थी ने 335 महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व तथा निर्वाचन के बाद की पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति में आये परिवर्तन से संबंधित जानकारी से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया। द्वितीयक आंकड़ों का एकत्रीकरण के लिये पलामू की जिला परिषद, पंचायत परिषद एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों आदि से अद्यतन आंकड़े एकत्रित किये गए तथा उनका सार्थक सांख्यकीय पद्धतियों द्वारा विश्लेषण किया गया जिसका विवरण अग्रवर्णित है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणाम

शोधार्थी ने पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सशक्तिकरण प्रक्रिया के विभिन्न आयामों जैसे महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व तथा निर्वाचन के बाद की पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में आये परिवर्तन से संबंधित जानकारी से संबंधित विश्लेषण आगे वर्णित है।

सारिणी संख्या 2: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व तथा वर्तमान समय की पारिवारिक परिस्थिति को दर्शाती सारिणी

पारिवारिक परिस्थिति	निर्वाचन से पूर्व		वर्तमान में	
	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	प्रतिशत	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	प्रतिशत
निम्न	104	31.04	024	7.16
सामान्य	177	52.84	153	45.67
उच्च	054	16.12	158	47.16
योग	**335**	**100.00**	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

सारिणी में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान पारिवारिक परिस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन से पूर्व 52.84 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति सामान्य थी, जबकि निर्वाचन से पूर्व 31.04 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति निम्न एवं 16.12 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति उच्च थी। वहीं वर्तमान में 47.16 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति उच्च है, जबकि 45.67 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति सामान्य एवं 7.16 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति निम्न पायी गयी। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहाँ एक ओर निम्न परिस्थिति वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 23.88 प्रतिशत की कमी हुई है, वहीं उच्च परिस्थिति वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 31.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारिणी संख्या 3: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पश्चात् की पारिवारिक परिस्थिति में सुधार की प्रकृति को दर्शाती सारिणी

पारिवारिक परिस्थिति में सुधार की प्रकृति	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत कम सुधार	097	28.96
सामान्य सुधार	145	43.28
बहुत अधिक सुधार	093	27.76
योग	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

सारिणी में निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पारिवारिक परिस्थिति में आये सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि 43.28 प्रतिशत महिला पंचायत

प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् परिवार में उनकी स्थिति में सामान्य सुधार हुआ है। वहीं पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् 28.96 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार की स्थिति में बहुत कम एवं 27.76 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् दो–तिहाई से भी अधिक (71.04 प्रतिशत) महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति में सामान्य (43.28 प्रतिशत) या बहुत अधिक (27.76 प्रतिशत) सुधार हुआ है।

सारिणी संख्या 4: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार की स्थति में आर्थिक श्रेणीवार सुधार की प्रकृति को दर्शाती सारिणी

आर्थिक श्रेणी	परिवार की स्थति में सुधार की प्रकति						
	बहुत कम		सामान्य		बहुत अधिक		योग
	प्राप्त	अनुगानित	प्राप्त	अनुगानित	प्राप्त	अनुगानित	
निम्न आय वर्ग	19	26.35	40	39.39	32	25.26	091
मध्यम आय वर्ग	40	42.56	69	63.63	38	40.81	147
उच्च आय वर्ग	38	28.09	36	41.99	23	26.93	097
कुल	**97**	**97.00**	**145**	**145.00**	**93**	**93.00**	**335**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में निर्वाचन के बाद महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पारिवारिक स्थिति में आर्थिक श्रेणीवार में आये सुधार की प्रकृति (महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में आये सकारात्मक परिवर्तन) को दर्शाया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आर्थिक श्रेणीवार के अंतर्गत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पारिवारिक स्थिति में विशेष सुधार हुआ है। अर्थात् महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक परिवर्तन आया है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक श्रेणीवार महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार में स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति (महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में आये सकारात्मक परिर्वतन) में सार्थक अन्तर है। सारिणी से यह भी स्पष्ट होता है कि निम्न आयवर्ग की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार की स्थिति में सबसे अधिक सुधार हुआ है अर्थात महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक परिर्वतन आया है। इसके विपरीत उच्च आयवर्ग के महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में स्थिति में सबसे कम सुधार हुआ है। उपरोक्त सारिणी से प्राप्त परिणामों से यह ज्ञात आर्थिक श्रेणीवार के आधार पर महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार की स्थिति में सुधार हुआ है और इस आधार पर उनमें सार्थक अंतर पाया गया।

सारिणी संख्या 5: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान समय की सामाजिक परिस्थिति को दर्शाती सारिणी

सामाजिक परिस्थिति	निर्वाचन से पूर्व		वर्तमान में	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निम्न	089	26.57	039	11.64
सामान्य	175	52.24	110	32.84
उच्च	071	21.19	186	55.52
योग	**335**	**100.00**	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान समय की सामाजिक परिस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन से पूर्व 52.24 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति सामान्य थी, जबकि निर्वाचन से पूर्व 26.57 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति निम्न एवं 21.19 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति उच्च थी। वहीं वर्तमान में 55.52 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति उच्च है, जबकि 32.84 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति सामान्य

एवं 11.64 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति निम्न पायी गयी। सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार अर्थात् महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक परिर्वतन आया है। जहाँ एक ओर निम्न सामाजिक परिस्थिति वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 14.93 प्रतिशत की कमी हुई है, वहीं उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 34.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारिणी संख्या 6: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति में सुधार की प्रकृति को दर्शाती सारिणी

सामाजिक परिस्थिति में सुधार की प्रकति	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत कम	110	32.84
सामान्य	155	46.27
बहुत अधिक	070	20.90
योग	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

सारिणी में निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति में आये सुधार की प्रवृत्ति अर्थात महिला सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि 46.27 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् उनकी सामाजिक परिस्थिति में सामान्य सुधार हुआ है। वहीं पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् 32.84 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति में बहुत कम एवं 20.90 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् तीन–चौथाई से भी अधिक (79.1 प्रतिशत) महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति में सामान्य (46.27 प्रतिशत) या बहुत कम (32.84 प्रतिशत) तथा 21 प्रतिशत के लगभग महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक परिस्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है अर्थात महिला सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक अंतर आया है।

सारिणी संख्या 7: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन से पूर्व तथा वर्तमान में आर्थिक परिस्थिति को दर्शाती सारिणी

आर्थिक परिस्थिति	निर्वाचन से पूर्व		वर्तमान में	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निम्न	137	40.90	091	27.16
सामान्य	165	49.25	147	43.88
उच्च	033	09.85	097	28.96
योग	**335**	**100.00**	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान समय की आर्थिक परिस्थिति को प्रदर्शित किया गया है अर्थात महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन से पूर्व 49.25 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति सामान्य थी, जबकि निर्वाचन से पूर्व 40.9 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति निम्न एवं मात्र 9.85 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति उच्च थी। वहीं वर्तमान में 43.88 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति सामान्य है, जबकि 28.96 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति उच्च एवं 27.16 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति निम्न पायी गयी। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत

प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है अर्थात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ है। जहाँ एक ओर निम्न आर्थिक परिस्थिति वाली महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 13.73 प्रतिशत की कमी हुई है, वहीं उच्च आर्थिक परिस्थिति वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 19. 1 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सारिणी संख्या 8: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति में सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाती सारिणी

आर्थिक परिस्थिति में सुधार की प्रवृत्ति	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत	057	17.01
सामान्य	163	48.68
बहुत कम	115	34.33
योग	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति में सुधार की प्रवृत्ति अर्थात महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि 48.66 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् उनकी आर्थिक परिस्थिति में सामान्य सुधार हुआ है। वहीं पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् 34.33 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति में बहुत अधिक एवं 17.01 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् अधिकांश (82.99 प्रतिशत) महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आर्थिक परिस्थिति में सामान्य (48. 66 प्रतिशत) या बहुत अधिक (34.33 प्रतिशत) सुधार हुआ है।

सारिणी संख्या 9: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान की राजनैतिक परिस्थिति को दर्शाती सारिणी

राजनैतिक परिस्थिति	निर्वाचन से पूर्व		वर्तमान में	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निम्न	186	55.52	091	27.16
सामान्य	117	34.93	167	49.85
उच्च	032	9.55	077	22.99
योग	**335**	**100.00**	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन से पूर्व 55.52 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति निम्न थी, जबकि निर्वाचन से पूर्व 34.93 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति सामान्य एवं मात्र 9.55 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति उच्च स्तर की थी। वहीं वर्तमान में 49.85 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति सामान्य है, जबकि 27.16 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति निम्न एवं 22.99 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति उच्च स्तर की है। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में सुधार हुआ है अर्थात् महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है। जहाँ एक ओर निम्न राजनैतिक परिस्थिति वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों में 28.36 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई है, वहीं सामान्य एवं उच्च राजनैतिक परिस्थिति वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों में क्रमश प्रतिशत 14.93 प्रतिशत एवं 13.43 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सारिणी संख्या 10: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाती सारिणी

राजनैतिक परिस्थिति में सुधार की प्रवत्ति	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत कम	137	39.10
सामान्य	176	52.54
बहुत अधिक	028	8.36
योग	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है अर्थात महिलाओं की राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रतिदर्श किया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् 52.54 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में सामान्य सुधार हुआ है। वहीं पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् 39.1 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में बहुत कम एवं 8.36 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् अधिकांश (91.64 प्रतिशत) महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में सामान्य (52.54 प्रतिशत) या बहुत कम (39.10 प्रतिशत) सुधार हुआ है।

सारिणी संख्या 11: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की बालिकाओं / महिलाओं की शिक्षा के प्रति निर्वाचन से पूर्व तथा वर्तमान में सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दर्शाती सारिणी

बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दष्टिकोण की स्थिति	निर्वाचन से पूर्व		वर्तमान में	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निम्न	105	31.34	053	15.82
सामान्य	179	53.43	186	55.52
उच्च	051	15.22	096	28.66
योग	**335**	**100.00**	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बालिकाओं/महिलाओं के शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन से पूर्व 53.43 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति सामान्य थी, जबकि निर्वाचन से पूर्व 31.34 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति निम्न एवं 15.22 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की उच्च स्तर की थी। वहीं वर्तमान में 55.52 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति सामान्य है, जबकि 28.66 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति उच्च स्तर एवं 15.82 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की निम्न स्तर की पायी गयी। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में सुधार हुआ है। जहाँ एक ओर परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति निम्न मानने वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 15.52 प्रतिशत की कमी हुई है, वहीं इस दृष्टिकोण को स्थिति को अच्छी मानने वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 13.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारिणी संख्या 12: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में बालिकाओं / महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दर्शाती सारिणी

पारिवारिक परिस्थिति में सुधार की प्रकृति	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत अधिक	064	25.07
सामान्य	176	52.54
बहुत कम	075	22.39
योग	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा हेतु किये गये प्रयासों के प्रभाव की स्थिति को दर्शाया गया है अर्थात् महिलाओं की शैक्षणिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इस सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 52.54 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् उनके द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा हेतु किये गये प्रयासों का सामान्य प्रभाव पड़ा है। वहीं 25.07 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गये प्रयासों का बहुत अधिक एवं 22.39 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार बहुत कम प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि आधे से भी अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधियों (52.54 प्रतिशत) के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् उनके द्वारा बालिकाओं / महिलाओं की शिक्षा हेतु किये गये प्रयासों का सामान्य प्रभाव पड़ा है।

सारिणी संख्या 13: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान में स्थिति को दर्शाती सारिणी

महिला स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति	निर्वाचन पूर्व		वर्तमान में	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निम्न	105	31.34	053	15.82
सामान्य	179	53.43	186	55.52
उच्च	051	15.22	096	28.66
योग	**335**	**100.00**	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में महिला स्वास्थ्य की निर्वाचन पूर्व एवं वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित किया गया है अर्थात् महिलाओं की स्वास्थ्य सशक्तिकरण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन से पूर्व 48.66 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य थी, जबकि निर्वाचन से पूर्व 34.93 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति निम्न एवं 16.42 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में स्थिति अच्छी थी। वहीं वर्तमान में 55.52 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य है, जबकि 27.46 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी एवं 17.01 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में यह स्थिति निम्न पायी गयी। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहाँ एक ओर वर्तमान में परिवार में महिला स्वास्थ्य की निम्न स्थिति होना मानने वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में 17.91 प्रतिशत की कमी हुई है, वहीं पंचायत में महिला स्वास्थ्य की उच्च एवं सामान्य स्थिति होना मानने वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिशत में क्रमश प्रतिशत 11.04 प्रतिशत एवं 6.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारिणी संख्या 14: पलामू जिला की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाती सारिणी

परिवार में महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की प्रवत्ति	महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या	
	संख्या	प्रतिशत
बहुत अच्छी	063	18.81
सामान्य	147	43.88
बहुत कम	125	37.31
योग	**335**	**100.00**

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारिणी में निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया गया है, अर्थात् महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इस सारिणी के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि 43.88 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात् उनके परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में सामान्य सुधार हुआ है। वहीं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के पश्चात् 37.31 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत कम एवं 18.81 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। उपरोक्त सारिणी से यह परिणाम प्राप्त होता है कि निर्वाचन के पश्चात् अधिकांश (81.19 प्रतिशत) महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में सामान्य (43.88 प्रतिशत) या बहुत कम (37.31 प्रतिशत) सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। निर्वाचन के पश्चात् दो–तिहाई से भी अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधियों की परिवार की स्थिति में सुधार हुआ है। आर्थिक श्रेणीवार के आधार पर महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार की स्थिति में निर्वाचन के बाद सुधार हुआ है और इस आधार पर उनमें सार्थक अंतर पाया गया। निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार अर्थात् महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक परिर्वतन आया है। निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है अर्थात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ है। निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की राजनैतिक परिस्थिति में सुधार हुआ है अर्थात् महिलाओं की राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है। निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकांश महिला पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचन के पश्चात उनके व्दारा बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा हेतु किये गये प्रयासों का सामन्य प्रभाव पड़ा है। निर्वाचन के पश्चात् महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत में महिला स्वास्थ की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल शारदा (2010) *आधी आबादी का यथार्थ, भारतीय नारी,* राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. आर्य रीना (2005), ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, *कुरूक्षेत्र,* पृ. 45 – 47।
3. मुखर्जी, अमिताब (2006), महिला पंचायत सदस्यों को सशक्त बनाना, मास्टर ट्रेनर के लिये एक पुस्तिका, *कुरूक्षेत्र,* पृ. 26 – 28।
4. कुमार, अरविंद (2008), पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, *योजना,* वर्ष–53, अंक–10, अक्टूबर, पृ. 17–18।
5. गुडे एण्ड हॉट, पी के (1952), *मैथड इन सोशल रिसर्च,* मैकग्रा–हिल बुक कं., न्यूयार्क, पृ. 133।
6. बुच, निर्मला (2020), महिलाओं हेतु नियोजन की चुनौतियाँ, *योजना,* वर्ष–68, अंक–18, अगस्त, पृ. 9–12।

––==00==––